erial No. - 23410

Book No.- 1 / Deed No. - 19477

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

20 JUL 2011

134202

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Thursday, the 21st day of July, 2011 by Ajat Shatru.

A stamp duty of Rs. 241500/- and other fees of Rs. 979/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names,photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 19477 in Book No. 1 , Volume No. 337 on pages from 11 to 23 and has been preserved in total 13 pages in C.D. No. 52 / Year 2011 .

Signature with date

(Ajay Krishna Mishra)

Registering Officer, Patna

Date : 21/07/2011

Token No. : 23877 / 2011

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, बिहार

डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (विकास एकरारनामा)

1) नाम एवं पूरा पता लेख्यकारी :-

श्री अजात शत्रु पिता का नाम श्री देनेश प्रसाद यादव, साकिन - मटियापुर, थाना - दानापुर, हाल थाना-शाहपुर, पत्रालय - जमसौत, परगना-फुलवारी, जिला - पटना, वर्तमान - सहदेव पथ, पटेल नगर, पोस्ट - शास्त्रीनगर, जिला - पटना - 800023, नागरिकता - भारतीय।

For Soho Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Serial No : 23410 Deed No : 19477
Token No : 23877 of 2011

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
In Favour of	Vijay Kumar(Rep.)						
Presented by Self	Ajat Shatru						
Executed by	Ajat Shatru						
Identifier	Binay Kr. Singh						

Signature of Party

Signature of Party

Signature of Party

Signature of Party

Signature of Party

पिता- श्री सुखदेव प्रसाद
वार्ड नं- 106, दाना अपार्टमेंट
फ्लैट नं- ई-2 ब्लाक- ई-2 ब्लाक
आदिल विहार

2) नाम एवं पूरा पता लेख्यधारी :-

मेसर्स सोहो इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा0) लिमिटेड, जो कि भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है। जिसकी पंजीकरण सं0 यू0-45200 डी0एल0-2006, पी0टी0सी0 155515 है। जिसका प्रधान कार्यालय सोहो हाउस, प्लौट नं0 69, ज्ञानखण्ड-प्रथम इन्दिरापुरम गाजियाबाद-201012 (यू0पी0), कम्पनी का PAN - AAKCS 3998 J द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि **श्री विजय कुमार** पिता श्री इन्द्रासन सिंह, निवासी-बी/11, विवेक विहार, रोड नं0-1, हनुमान नगर, कंकड़बाग पटना-800020, थाना-पत्रकारनगर, जिला-पटना, जो उक्त प्रतिनिधि को कम्पनी का संचालन मण्डल का बैठक दिनांक 04.12.2010 ई0 में पारित प्रस्ताव के द्वारा उक्त सम्पति के विकास एकरारनामा करने का अधिकार प्राप्त है।

3) लेख्य प्रकार :-

डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (विकास एकरारनामा)।

4) लेख्य मूल्य :-

जमीन का कुल अंके रूपया 97,25,000/- (संतानवे लाख पच्चीस हजार रूपया) मात्र एवं अंके रू0 23,42,000/- (तेईस लाख बेयालिस हजार रूपया) मात्र असमायोजित राशि (Non Adjustable Money) होता है, जिसपर 2 प्रतिशत स्टाम्प भुगतान की गई है।

5) सम्पत्ति का पूरा विवरण :-

हमगी वो तमामी वो मवाजी 16 कट्ठा 4 धुर (सोलह कट्ठा चार धुर) यानी 50.625 डिसमिल, भूखण्ड के मालिक मुस्तकिल निर्विवाद रूप से जो कि मौजा - बवक्करपुर, परगना - फुलवारी, सर्वे थाना एवं अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, हाल थाना - दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय एवं जिला - पटना, अन्दर दानापुर निजामत क्षेत्र, जिसका थाना नं0 35 (पैंतीस), तौजी सं0 5059 (पांच हजार उनसठ), खाता सं0 9 (नौ), सर्वे खेसरा नं0 216 (दो सौ सोलह) का अंश, थाना कोड सं0 156, जोन-2, जिसका सालाना भू-लगान अंकेन रू0 7/- मात्र अलावे शेष वजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर को देना होता है, चौहद्दी निम्नांकित है :-

For Soho Infrastructure Pvt. Ltd.

चौहद्दी

उत्तर :- सिवाना जमसौत वो आहर

दक्षिण :- अमरेन्द्र कुमार का प्लॉट/Blue Bell's Academy

पूरब :- अमरेन्द्र कुमार का Plot (Part Plot 16)

पश्चिम :- सिवाना जमसौत वो आहर

विदित हो कि लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ते वजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर के रजिस्टर-2 में जमाबन्दी नं0 422 सन् 2010-11 ई0 पर अंकित है और उपरोक्त जमाबन्दी पर भू-लगान अदाय करते हुये लेख्यकारी राजस्व रसीद कटवाते चले आ रहे है।

संदर्भ

हकियत यह है कि खाने सं0 5 की वर्णित भूखण्ड (सम्पत्ति) लेख्यकारी को निबंधित दानपत्र दिनांक 16.11.1992 के द्वारा प्राप्त हुई है तथा दानपत्र की तिथि से ही लेख्यकारी उक्त जमीन के मालिक व दखलकार हकदार हैं तथा निर्विवाद रूप से दखल कब्जे में चले आ रहे हैं, जिसका दानपत्र वसिका सं0 8237 दिनांक 16.11.1992 जिसका जिल्द सं0-260, पेज नं0-177 से 188 एवं तैयारी वर्ष 2006 है नविस्ते रतन कुमार पिता श्री बिन्दा प्रसाद, निवासी - गुलामयाहियाँ बाग, थाना - फतुहाँ, जिला - पटना, हाल मोकाम - न्यु कॉलोनी, क्वाटर नं0 375, दल्लुचक, थाना - खगौल, जिला - पटना बनाम लेख्यकारी श्री अजात शत्रु को प्राप्त हुई है। विदित हो कि श्री रतन कुमार लेख्यकारी के मामा है जिन्होंने अपनी खुशी एवं ख्वाहिश से खाना नं0-5 में वर्णित जमीन को बख्शीश किया था और बख्शीश की तिथि से वहैसियत मालिक मुस्तकिल लेख्यकारी काबिज दाखिल है एवं उपरोक्त सम्पत्ति सभी तरह के नुक्स हकियत, ऋण भार व वारदेन से पाक व साफ है तथा मुक्त है।

1. यह कि लेख्यकारीगण/जमीन मालिक ने यह आश्वस्त किया है कि यह जमीन की सम्पत्ति सरकारी अधिग्रहण में नहीं है तथा किसी भी तरह के दखल कब्जे एवं विवाद से पूर्णतः मुक्त है और

For Soho Infrastructure Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

इस जमीन पर स्वीकृत नक्सा के अनुसार बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए जमीन मालिक लेख्यकारीगण की ओर से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। जमीन मालिक लेख्यकारी ने यह भी आश्वस्त किया है कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत का नक्शा और प्रारूप को दानापुर निजामत क्षेत्र से पास करवाने में उनके तरफ से कोई रूकावट पैदा नहीं की जायेगी। भवन निर्माता/लेख्यधारी ने यह स्वीकार किया है कि वह लेख्यकारी के इस जमीन पर कई फ्लैट वगैरह स्वीकृत नक्शा के अनुसार बनाकर जमीन मालिक, लेख्यकारी के जमीन को विकसित करेंगे

2. इस एकरारनामा के बाद बहुमंजिला इमारत बनेगा जो भवन निर्माता/लेख्यधारी के पैसे या उनके द्वारा व्यवस्था की गई राशि से बनेगा। इसमें भवन निर्माता का हिस्सा 55 (पचपन) प्रतिशत होगा तथा जमीन मालिक/लेख्यकारी का हिस्सा 45 (पैतालीस) प्रतिशत सभी तल पर होगा जिसे डेभलपर एवं जमीन मालिक अपने-अपने मिले हिस्से के अनुसार विक्रय-पत्र, लीज एग्रीमेन्ट, मोरगेज, एकरारनामा वगैरह करने का पूरा-पूरा हक वो अधिकार होगा।

3. यह कि जमीन मालिक के दो फ्लैट के किचेन में ग्रेनाईट स्लैब एवं उनके दोनों बाथरूम में सात फीट तक ऊँचा ग्लेज्ड टाईल्स और अच्छे क्वालिटी का नल-कल डेभलपर लगाकर देंगे तथा उन दो फ्लैटों में साल की लकड़ी का चौखट लगाया जायेगा। बाकी फ्लैटों में एक जैसा कार्य कर डेभलपर देंगे परन्तु खरीदार के फ्लैटों के उनके आदेशानुसार कोई विशेष कार्य करवाना चाहेंगे तो इसमें जमीन मालिकों का कोई डिमान्ड नहीं होगा और न करेंगे।

4. यह विकास एकरारनामा 2006 के अपार्टमेन्ट एक्ट के प्रावधानों के अनसुार किया जा रहा है।

5. यह कि जमीन मालिक एवं डेभलपर के बीच यह तय हुआ है कि डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट का समय दानापुर निजामत क्षेत्र से नक्शा स्वीकृत होने की तारीख से 4 (चार) साल की होगी और 6 (छः) माह इसके अलावे ग्रेस की अवधी होगी इसके बावजूद भी

डेभलपर खाने सं0 2 खाने सं0 5 की वर्णित सम्पत्ति पर बहुमंजिला इमारत बनाने में विलम्ब करेंगे तो प्रति महिना अंके रू0 10000/- (दस हजार रूपये) मात्र जमीन मालिकों को डेभलपर भुगतान करेंगे।

6. यह कि जमीन मालिक और डेभलपर को अधिकार होगा कि वह अपने-अपने हिस्से बन जाने के बाद जो हिस्सा मिलेगा उसमें डेभलपर/लेख्यधारी का हिस्सा 55 (पचपन) प्रतिशत सभी तल पर होगा और जमीन मालिक/लेख्यकारी का हिस्सा 45 (पैंतालीस) प्रतिशत सभी तल पर होगा। साथ ही दोनों पक्षों का कार पार्किंग एवं अविभाजित भू-भाग में भी उपरोक्त वर्णित डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट के अनुसार हक वो हिस्सा होगा जिसे दोनों पक्ष, अपने-अपने ईच्छा अनुसार अपने-अपने मिले हिस्सो को बिक्रय-पत्र, लीज डीड, किरायानामा, मोरगेज, एग्रीमेन्ट दानपत्र वगैरह लिखकर और उसपर अपना दस्तखत बनाकर जिला अवर निबंधन कार्यालय पटना/अवर निबंधन कार्यालय दानापुर में दाखिल कर, उस दस्तावेज का लेख्य निष्पादन स्वीकार वो एकरार, अपने-अपने खरीदार/खरीदारों के पक्ष में सम्पन्न करेंगे और अपने-अपने खरीदार/खरीदारों से दोनों पक्ष अलग-अलग रकम प्राप्त, करेंगे। इसमें किसी भी पक्ष को उस वक्त कोई आपत्ति नहीं होगा।

7. यह कि जमीन मालिक/लेख्यकारी ने डेभलपर को निम्नलिखित कार्यो के लिए अधिकृत किया है। यानी प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत का निर्माण प्रारंभ करने के पहले डेभलपर अपने खर्च से प्रारूप तैयार करेंगे, उसमें नियम के मुताबिक रद्दोबदल करना, सभी जरूरी कागजात अधिकारी के पास लिखकर देना, यानि कोई भी कार्य, जो नक्शा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होगा, उसे डेभलपर अपने खर्च से करेंगे।

8. यह कि वास्तुविद, अभियंता, ठेकेदार या और कोई आवश्यक व्यक्ति की नियुक्ति निर्माता/लेख्यधारी अपने खर्च से करेंगे।

For Soho Infrastructure Pvt Ltd

9. यह कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत का नाम "**निर्मला अपार्टमेन्ट**" होगा।

10. यह कि स्वीकृत नक्शा के अतिरिक्त यदि कोई विधिसम्मत विस्तार डेभलपर/लेख्यधारी उपरोक्त भूखण्ड पर करेंगे तो उसमें भी जमीन मालिक को उपरोक्त तय प्रतिशत के अनुसार हिस्सा देना होगा। जमीन मालिक की पूर्व स्वीकृति से ही यह अतिरिक्त कार्य का निर्माण होगा, लेकिन डेभलपर एग्रीमेन्ट में कोई रद्दोबदल नहीं होगा।

11. यह कि बहुमंजिला इमारत के FAR से कानूनी प्रक्रिया में हुए खर्च को जमीन मालिक एवं डेभलपर वहन करेंगे।

12. यह कि डेभलपर अपने हिस्से के 55 (पचपन) प्रतिशत भाग को किसी भी खरीदार/खरीदारों के नाम से बेचने हेतु बातचीत तय करेंगे, बैंक या किसी अन्य वाणिज्यिक सरकारी या गैर सरकारी संस्था या विभाग से अपने हिस्से के संबंध में बातचीत तय करेंगे और बहुमंजिला इमारत बनाने में आने वाले कोई अन्य कार्य भी करेंगे।

13. यह कि जमीन मालिक/लेख्यकारी अपने हिस्से के 45 (पैतालीस) प्रतिशत पूर्ण रूपेण निर्मित भवन बिना किसी विवाद से प्राप्त करने के बाद, किसी भी फ्लैट वगैरह को किसी से बेचने या किसी से किराये पर देने तथा उसका कब्जा देने में स्वतंत्र होंगे। इसके संबंध में डेभलपर का कोई अधिकार नहीं होगा। साथ ही लेख्यधारी जिस अनुपात में लेख्यकारी को भवन का हिस्सा देंगे, उसी अनुपात में अपना हिस्सा किसी को हस्तान्तरित कर सकते हैं।

14. यह कि डेभलपर, जमीन मालिक के हिस्से के 45 (पैतालीस) प्रतिशत फ्लैट, कार पार्किंग स्पेस, समानुपातिक भू-भाग को जमीन मालिक की बहुमंजिला इमारत पूरा होते ही बिना किसी अड़चन के लिखित रूप से सही नामी कराकर उसका दखल कब्जा देंगे।

For Sona Infrastructure Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

15. यह कि बहुमंजिला इमारत बनना शुरू होने तक जमीन की जितनी तरह के टैक्स है व होगा वह सभी टैक्स जमीन मालिक देंगे और भवन बनाने का कार्य शुरू होने के बाद डेभलपर वहन करेंगे।

16. यह कि डेभलपर इस बहुमंजिला इमारत को दानापुर निजामत क्षेत्र से नक्शा पास होने के चार वर्ष एवं अतिरिक्त समय छः महिना के भीतर बनाकर फिनिसिंग कर लेख्यकारी/ जमीन मालिक को कब्जा दखल दे देंगे ताकि निर्माण में अवरोध नहीं हो। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि निर्धारित समय में कोई भी दैविक प्रकोप होता है जैसे, बाढ़, भूकम्प आते हैं या भवन संबंधी समानों की अत्यन्त कमी हो जाती है या सरकार द्वारा कोई ऐसी नियम बना दी जाती है जो डेभलपर के संभाल से बाहर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में तय सुदा समय विवाद समाप्त होने तक उस अवधि की गिनती नहीं होगी।

17. यह कि डेभलपर बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए अपने हिस्से के अनुसार जहाँ से भी ऋण की व्यवस्था करना चाहें करेंगे इसके लिए जमीन मालिकों के हिस्सा 45 प्रतिशत पर किसी तरह से प्रभावित या बंधक नहीं होगा। लेकिन भवन निर्माण में विवाद होने पर लेख्यधारी/भवन निर्माता द्वारा लिये गये ऋण को लेख्यधारी के निजि सम्पति से ऋण देने वाली संस्था वसूल करेगी न कि लेख्यकारी/जमीन मालिक द्वारा दिये गये 55 प्रतिशत हिस्से से होगा।

18. यह कि कम्पनी के द्वारा अधिकृत सिगनेटरी को कोई दस्तावेज निष्पादित करने का अधिकार होगा।

19. यह कि भूस्वामी/लेख्यकारी को लेख्यधारी मेसर्स सोहो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री विजय कुमार लिये गये जमीन के अनुसार प्रति कट्ठा (यानि 1361 वर्ग फीट) 2.75 लाख की दर से असम्प्रयोजित राशि भुगतान करेंगे और इसके एवज में 23,42,000/- (तेईस लाख बेयालिस हजार रूपया) मात्र मास्टर प्लान में गये जमीन को छोड़कर डेभलपर को

For Soho Infrastructure Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

भुगतान Non Adjustable Amount के रूप में करना है जिसमें अंकेन रू0 6,00,000/- (छः लाख रूपये) मात्र बैंक चेक सं0 683484, दिनांक 21.07.2011 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, न्यू मार्केट पटना के माध्यम से एवं अंकेन रू0 5,00,000/- (पाँच लाख रूपये) मात्र नगद डेभलपरमेन्ट एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर बनाते समय यानी रजिस्ट्री के समय डेभलपर भुगतान किये और बचे रकम अंकेन् रू0 12,42,000/- (बारह लाख बेयालिस हजार रूपये) मात्र डेभलपरमेन्ट एग्रीमेन्ट में वर्णित भूमि का दखल-कब्जा हो जाने पर वो बाउण्ड्रीवाल हो जाने पर एवं दानापुर निजामत क्षेत्र से जमीन का नक्शा स्वीकृत हो जाने पर डेभलपर, जमीन मालिक को भुगतान करेगें और इसके अलावे और भी रकम की जरूरत पड़ेगी तो Adjustable Amount जमीन मालिक को डेभलपर देंगे जो जमीन मालिक के हिस्से का निर्मित फ्लैट में अंकेन् रू0 1,000/- (एक हजार रूपये) मात्र प्रति वर्गफीट के हिसाब से डेभलपर समायोजित कर लेगें, लेकिन मास्टर प्लान में छोड़ी गई भूखण्ड में जितनी F.A.R. मिलती है उसका Non Adjustable Amount अंकेन् रू0 2,75,000/- (दो लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र की दर से जमीन मालिक को डेभलपर भुगतान करेगें। साथ ही चेक बौन्स होने पर यह डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट रद्द हो जायेगा।

20. यह कि जमीन मालिक एवं डेभलपर के बीच यह तय हुआ है कि डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट का समय पटना/दानापुर निजामत क्षेत्र से नक्सा स्वीकृत होने की तारीख से एवं पटना/दानापुर निजामत क्षेत्र से मास्टर प्लान छोड़कर, जो जमीन बचेगा, उसी जमीन में डेभलप किया जाएगा जिसकी अवधि 4 (चार) साल की होगी और 6 (छः) महीने ग्रेस की अवधि होगी।

21. यह कि अगर लेख्यधारी/भवन निर्माता अगर किसी कारण से उक्त भवन को अर्द्ध निर्मित अवस्था में छोड़ कर चले जायेंगे तो लेख्यकारी/जमीन मालिक नोटिस देने के दो महीने के बाद किसी

For Soho Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

अन्य भवन निर्माता के साथ नया इकरार कर उक्त भवन का निर्माण करेंगे।

22. यह कि अगर लेख्यकारी/जमीन मालिक एवं लेख्यधारी/भवन निर्माता में किसी तरह का विवाद होता है तो उसका निपटारा Arbitrator द्वारा किया जायेगा। और दोनों पक्षों की सहमति से ही Arbitrator नियुक्त देंगे।

23. यह कि 2 वर्ष में लेख्यधारी उक्त भवन का आधा निर्माण (50%) कार्य पूर्ण कर लेंगे, वशर्ते डेभलपर को पूर्ण उपरोक्त भूखण्ड पर दखल-कब्जा प्राप्त हो जाने पर एवं दानापुर निजामत क्षेत्र से नक्शा पास हो जाने की तिथि से उपरोक्त वर्णित समय मान्य होगी।

24. यह कि जमीन मालिक के हिस्से की फ्लैट वगैरह को हस्तानान्तरण कर देने पर ही डेभलपर्स अपने हिस्से के फ्लैट वगैरह को हस्तानान्तरण खरीदार के साथ कर सकते है।

25. यह कि डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर होने के पूर्व लेख्यधारी/भवन निर्माता निम्नलिखित कागजात लेख्यकारी/जमीन मालिक को प्रदान करेंगे :-

(i) मेसर्स सोहो इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा0) लिमिटेड के Registration की कॉपी।

(ii) उपरोक्त कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री विजय कुमार को प्रदत्त प्राधिकार पत्र की कॉपी तथा

(iii) कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री विजय कुमार का आवासीय/फोटो पहचान पत्र की कॉपी।

नोट :- कम्पनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति श्री विजय कुमार उपरोक्त तीनों कागजातों पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे।

26. यह कि डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट इस विश्वास के साथ दोनों पक्षों ने लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

For Soho Infrastructure Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

27. यह कि इस डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट से दोनों पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारी समान रूप से प्रभावित होंगे और दोनों पक्षों पर समान रूप से नियम वो बंधेय लागू होगा।

गवाहों का हस्ताक्षर :-

1. चन्द्रमणि राय
पिता स्व० [illegible] राय
ग्रा० बेरारी
थाना [illegible]
जिला पटना
21/7/2011

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

स्त्री अजान इक्कु
21/7/11

2. संजय कुमार
पिता - श्री विजय सिंह
ग्राम - खाजकुरा
पो०ऑ० - बी० आई० कालेज
थाना - इबाई अड्डा
जिला - पटना
पिन कोड - 800014
21/7/2011

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

For Soho Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

मेसर्स सोहो इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा०) लिमिटेड
For Soho Infrastructure Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

यह डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट दोनों पक्षों के कथनानुसार तैयार किया गया है जिसे दोनों पक्षों ने स्वयं पढ़कर और डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट के मजमून से वाकिफ होकर बिना किसी दूसरों को दबाव, बहकाव एवं धमकाव तथा कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर अपने-अपने समस्त लाभ-हानियों को सोच समझकर तथा अपने मानसिक संतुलन को स्वस्थावस्था में बनाये रखकर लिखते हैं कि समय पर काम आवे।

टंकणकर्ता
Sunil Kr. Yadav
(सुनील कुमार यादव)
पटना समाहरणालय,
पटना।

पारूपकर्ता

ANIL KUMAR

Registration Officer
G. E. A. PATNA

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act , 1899, Schedule I or I-A, No. 05. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 241500 Amt. paid by N.J. Stamp Paper - Rs. 5000

Addl Stamp duty paid under Municipal Act Rs. Amt. paid through Bank Challan - Rs. 237479

FEE PAID			Registration Fee				LLR + Process Fee		Service Charge
A	1	0 C	0 H1b	0 Ka1	0 Lii	0	LLR	0	
A	3	0 D	0 H2	0 K1b	0 Liii	0	Proc. Fee	0	500
A	5	0 DD	0 I	150 K1c	0 Mb	25	Total-	0	
A	10	0 E	250 J1	0 K2	0 Na	54			
E		0 H1a	0 J2	0 Li	0				
					TOTAL-	479			

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. 979

Registering Officer
Patna

Date : 21/07/2011

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Thursday, 21st July 2011 by Ajat Shatru S/O Sri Dinesh Pd. Yadav by profession Others. Status - Executant

21/7/11

Signature / L.T.I. of Presentant *Date : 21/07/2011*

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Binay Kr. Singh age Sex M son/daughter of S/O-Bhuneshwar Pd. Singh resident of Flat No-106,Gyan Apt.Kankarbagh,Patna whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument

Date : 21/07/2011

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 337 on page no. 11 - 23 for the year 2011 and stored in CD Volume No.CD-52 year 2011. The document no. is printed on the front Page of the document

Date : 21/07/2011

Registering Officer
Patna

Token No.23877 Year - 2011 Sl.No. 23410 SCORE Ver. 2.1 Deed No. 19477 NIC-Bihar